प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला दौसा, थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर वर्ष 2022 प्र0सू0रि0 सं. 430/22 दिनांक 3/11/2022

2. (I) अधिनियम ... .धारायें. 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भा.दं.सं.

(II) अधिनियम .... धारायें .....

(III) अधिनियम ..... धारायें .....

(IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 46 समय 2:40 pm

(ब) अपराध घटने का दिन व दिनांकः– बुधवार, 02.11.2022 समय 4.10 पी.एम.

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 20.10.2022 समय 05.30 पीएम

4. सूचना की किस्म :– लिखित

5. घटनास्थल :– कार्यालय सहायक अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बसवा, जिला दौसा

(अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– करीब 45 कि0मी0 लगभग, उत्तर–पूर्व दिशा में

(ब)पता – कार्यालय सहायक अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बसवा, जिला दौसा

बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना .....जिला .....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम :– श्री लोकेश कुमार मीना

(ब) पिता/पति का नाम – श्री हीरालाल मीना

(स) जन्म तिथी/वर्ष .....28 वर्ष..

(द) राष्ट्रीयता .....भारतीय.....

(य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि .....

जारी होने की जगह .....

(र) व्यवसाय– कृषि

(ल) पता– निवासी ग्राम रैवासा, तहसील बसवा, जिला दौसा

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : –

1–श्री रामनिवास मीना पुत्र श्री रामकुमार मीना, उम्र 58 वर्ष, जाति मीना, निवासी दूध की डेयरी, करौली रोड, सालौदा ग्रामीण, महु खुर्द, रूरल, महूकलां, जिला सवाई माधोपुर हाल सहायक अभियन्ता, कार्यालय सहायक अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बसवा, जिला दौसा।

2–श्री देवीसिंह पुत्र श्री अमरसिंह मीना, उम्र 35 वर्ष, जाति मीना, निवासी बडा थोक, बामनवास पट्टी कलां, जिला सवाईमाधोपुर हाल दलाल प्राईवेट व्यक्ति।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.... कोई नहीं.

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ट्रेप रिश्वती राशि– रिश्वती राशि 2,000/–रूपये

10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .....रिश्वती राशि 2,000/–रूपये

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

हालात प्रकरण इस प्रकार से है कि दिनांक 19.10.2022 को मुख्यालय जयपुर से मन् पुलिस निरीक्षक नवल किशोर को मैसेज मिला कि परिवादी श्री लोकेश कुमार मीना की शिकायत प्राप्त हुई है। आप उसके मोबाईल नंबर 9782580223 पर सम्पर्क कर कार्यवाही करे। उक्त आदेश की पालना में मन पुलिस निरीक्षक ने श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया जाकर परिवादी के उक्त मोबाईल नम्बर पर कॉल कर सम्पर्क किया गया तो परिवादी ने दिनांक 20.10.2022 को बसवा मिलने के लिए कहा गया। दिनांक 20.10.2022 को मन पुलिस निरीक्षक मय श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के राजकार्य से अलवर गये हुये थे। बाद राजकार्य अलवर से वापसी के दौरान परिवादी श्री लोकेश कुमार मीना से

जरिये दूरभाष सम्पर्क किया गया तो परिवादी ने बसवा स्टेण्ड पर मिलने हेतु कहा। समय करीब 05.30 पीएम पर परिवादी श्री लोकेश कुमार मीना बसवा स्टेण्ड पर उपस्थित मिला, जिससे मन पुलिस निरीक्षक व श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिचय किया तो परिवादी ने अपना नाम लोकेश कुमार मीना पुत्र श्री हीरालाल मीना उम्र 28 साल जाति मीना निवासी रैवासा तहसील बसवा जिला दौसा होना एंव अपने द्वारा उक्त सम्बन्ध में शिकायत जयपुर में करना बताकर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक लिखित रिपोर्ट कार्यवाही हेतु पेश की गई। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट पर मार्क कर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु मन पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द्द की गई। परिवादी द्वारा लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि हमने मेरे पिता श्री हीरालाल मीना के नाम से श्री फेस विद्युत कनेक्शन की पत्रावली लगाई थी, जिसके डिमाण्ड नोटिस विद्युत विभाग बसवा से प्राप्त होने पर राशि 94960 जमा करवा दिये है। अब विद्युत विभाग बसवा के ए.ई. एन. श्री रामनिवास मीना मेरे से हमारे कनेक्शन का सामान देने की ऐवज में 5000 रिश्वत की मांग कर रहा है और कहता है आप 5000 नहीं दोगे तो मैं सामान नहीं दूंगा। मैं मेरे जायज काम के लिये ए.ई.एन. को रिश्वत के 5000 रूपये नहीं देना चाहता हूं और उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी रामनिवास ए.ई.एन. से कोई रंजिश व उधार का लेन–देन बाकी नहीं है। परिवादी द्वारा पेश की गई लिखित रिपोर्ट का अवलोकन कर परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई, तो परिवादी ने उक्त लिखित रिपोर्ट अपनी हस्तलिखित होना एवं उसमें अंकित सभी तथ्यों की ताईद करते हुए उसमें अंकित सभी तथ्य सही होना बताया। परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट के अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत के लेन–देन का पाया जाने पर परिवादी को मांग सत्यापन हेतु कहा गया, तो परिवादी ने दीपावली का अवकाश होने एवं ए.ई.एन. के कार्यालय में उपस्थित नहीं होने पर दीपावली के बाद मांग सत्यापन करवाने बाबत कहा गया। तत्पश्चात् दिनांक 31.10.2022 को समय 12.18 पी.एम. पर श्री लोकेश कुमार मीना परिवादी ने अपने मोबाईल नंबर 9782580223 से जरिये दूरभाष मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर 9057282822 पर कॉल कर अवगत करवाया गया कि एईएन रामनिवास कार्यालय में उपस्थित है मै आज मांग का सत्यापन की कार्यवाही करवा दुगां। इस पर परिवादी को बसवा स्टेण्ड पर मिलने की हिदायत कर श्री लोकेश कुमार कानि0 155 को कार्यालय की आलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस टेपरिकार्डर मैक सोनी निकालकर उसे चलाने व बन्द करने की विधि समझाकर सुपुर्द कर परिवादी श्री लोकेश कुमार के मोबाईल नम्बर अवगत करवाकर हिदायत दी गई कि बसवा स्टेण्ड पर जाकर परिवादी से सम्पर्क कर परिवादी को डिजिटल टेपरिकॉर्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाकार जरिये फर्द सुपुर्द कर संदिग्ध आरोपी के पास भेजकर मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाये एंव बाद मांग सत्यापन मय परिवादी व डिजिटल टेपरिकॉर्डर के कार्यालय में उपस्थित होकर डिजिटल टेपरिकॉर्डर मन पुलिस निरीक्षक को पेश करे। तत्पश्चात् कानि0 को मांग सत्यापन हेतु समय 01.00 पीएम पर रवाना बसवा स्टेण्ड जिला दौसा के लिए किया गया। इसके बाद समय करीब 3.20 पीएम पर श्री लोकेश कुमार कानि0 155 ने अपने मोबाईल नम्बर 8949714758 से मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर 9057282822 पर कॉल कर अवगत करवाया कि परिवादी ने बताया है कि सदिंग्ध आरोपी एईएन ने परिवादी श्री लोकेश कुमार मीना से उसके कनेक्शन का सामान देने की एवज में 5,000 रूपये रिश्वत की मांग कर 1,000 रूपये मांग सत्यापन के समय अन्य व्यक्ति को दिलवा दिये तथा बाकी के और देने के लिए कहा है। इस पर परिवादी से वार्ता करवाई तो उक्त तथ्यों की परिवादी ने ताईद की, जिस पर परिवादी को रिश्वत राशि साथ लेकर आने के लिए कहा तो परिवादी ने दो दिन अपने घर पर जरूरी काम होने व दिनांक 02.11.2022 को सुबह रिश्वती राशि सहित कार्यालय में उपस्थित होने बाबत् कहा। इस पर परिवादी को मुनासिब हिदायत दी जाकर दिनांक 02.11.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने व कानि0 लोकेश कुमार को मय डिजिटल टेपरिकॉर्डर के कार्यालय में उपस्थित होने बाबत कहा गया। तत्पश्चात् समय करीब 6.00 पीएम पर श्री लोकेश कुमार कानि0 155 बाद मांग सत्यापन बसवा से कार्यालय में उपस्थित आया व मन पुलिस निरीक्षक को डिजिटल टेपरिकॉर्डर व फर्द सुपुर्दगी विभागीय डिजिटल टेपरिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि साहब मै यहा से रवाना होकर बसवा स्टेण्ड पर जाकर परिवादी के मोबाईल पर सम्पर्क किया तो परिवादी मुझे बसवा स्टेण्ड पर ही मिला, तत्पश्चात मैने परिवादी से परिचय कर डिजिटल टेपरिकॉर्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाकर परिवादी को जरिये फर्द मांग सत्यापन

हेतु सुपुर्द किया गया। इसके बाद समय करीब 02.30 पीएम पर मै व परिवादी श्री लोकेश कुमार मीना उसकी मोटर साईकिल से बसवा स्टेण्ड से रवाना होकर कार्यालय सहायक अभियन्ता जयपुर डिस्कॉम बसवा के नजदीक पहुॅचे, जहा पर मै तो उस कार्यालय के बाहर ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी पर नजर रखते हुये रूक गया तथा परिवादी डिजिटल टेपरिकॉर्डर को चालूकर उस कार्यालय में चला गया। कुछ समय बाद परिवादी उस कार्यालय से बाहर निकलकर मेरे पास आया और मुझे डिजिटल टेपरिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि मै एईएन साहब के पास उनके कार्यालय में गया तो एईएन साहब अपनी ऑफिस में मुझे बैठे हुये मिले, जिनसे मैने मेरे विधुत कनेक्शन का सामान देने के लिए कहा तो एईएन साहब ने मुझसे 5,000 रूपये रिश्वत की मांग की और पैसे एक साथ देने के लिए कहा, तो मैने उनको कहा कि साहब मै थोडा–2 करके दे दुगां, इस पर उन्होने मुझे अन्य व्यक्ति को पैसे देने के लिए कहा तो मैने उनको 1,000 रूपये दे दिये। तत्पश्चात मै वापिस एईएन साहब के पास गया तो उन्होने मुझे कहा कि कितने देकर आया, तब मैने कहा कि 1,000 रूपये, तब उन्होने कहा कि 1,000 रूपये से काम होता है क्या पूरे लगेगें 5,000 रूपये, तब मैने उनको कहा कि साहब इण्डेन पर साईन करोगे तब दे दुगां। मैने एईएन साहब व अन्य व्यक्ति से हुई सभी वार्ताओं को टेप रिकॉर्डर में टेप कर लिया है। तत्पश्चात हम दोनो वहा से रवाना होकर बसवा स्टेण्ड पर आये और आपसे जरिये दूरभाष वार्ता कर परिवादी से भी वार्ता करवाई। इसके बाद विभागीय डिजिटल वाईस टेपरिकार्डर को चालू कर सूना गया तो उसमें आई वार्ता में संदिग्ध आरोपी द्वारा 5,000 रूपये रिश्वत की मांग कर 1,000 रूपये अन्य व्यक्ति को दिलवाकर पूरे 5,000 रूपये देने के लिए कहना स्पष्ट रूप से पाया गया तथा परिवादी द्वारा बताई गई बातो की पुष्टि होना पाया गया। विभागीय डिजिटल वाईस टेपरिकार्डर को वापस बन्द कर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया तथा उक्त कार्यवाही की फर्द वापसी विभागीय डिजिटल टेपरिकॉर्डर तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद दिनांक 01.11.2022 को समय 3.00 पीएम पर पूर्व के पाबन्दशुदा दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री शंकर लाल जाट कनिष्ठ सहायक एवं श्री रघुवीर प्रसाद शर्मा सहायक अभियंता कार्यालय नगर परिषद दौसा को जरिये दूरभाष कार्यालय में उपस्थित होने बाबत पाबन्द किया गया तो दोनो स्वतन्त्र गवाह समय 3.30 पीएम पर कार्यालय में उपस्थित आये जिनसे परिचय कर दिनांक 02.11.2022 को समय 9.00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। इसके बाद दिनांक 02.11.2022 को पाबन्दशुदा परिवादी श्री लोकेश कुमार मीना कार्यालय में उपस्थित आया और मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि दिनांक 31.10.2022 को आपका कानि0 श्री लोकेश कुमार समय करीब 02.10 पीएम पर मेरे मोबाईल पर कॉल कर मेरे पास बसवा स्टेण्ड पर पहूॅचा और मेरे से परिचय कर मुझे डिजिटल टेपरिकॉर्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाकर जरिये फर्द मांग सत्यापन हेतु वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया गया था। इसके बाद समय करीब 02.30 पीएम पर मै व श्री लोकेश कुमार कानि0 मेरी मोटर साईकिल से बसवा स्टेण्ड से रवाना होकर कार्यालय सहायक अभियन्ता जयपुर डिस्कॉम बसवा के नजदीक पहुॅचे, जहा पर श्री लोकेश कुमार कानि0 तो उस कार्यालय के बाहर ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मेरे उपर नजर रखते हुये रूक गया तथा मै डिजिटल टेपरिकॉर्डर को चालूकर उस कार्यालय में एईएन साहब के पास गया तो एईएन साहब मुझे अपनी ऑफिस में बैठे हुये मिले, जिनसे मैने मेरे विद्युत कनेक्शन का सामान देने के लिए कहा तो एईएन साहब ने मुझसे 5,000 रूपये रिश्वत की मांग की और पैसे एक साथ देने के लिए कहा, तो मैने उनको कहा कि साहब मै थोडा–2 करके दे दुगां, इस पर उन्होने मुझे अन्य व्यक्ति को पैसे देने के लिए कहा तो मैने उनको 1,000 रूपये दे दिये। तत्पश्चात मै वापिस एईएन साहब के पास गया तो उन्होने मुझे कहा कि कितने देकर आया तब मैने कहा कि 1,000 रूपये, तब उन्होने कहा कि 1,000 रूपये से काम होता है क्या पूरे लगेगें 5,000 रूपयें, तब मैने उनको कहा कि साहब इण्डेन पर साईन करोगे तब दे दुगां। मैने एईएन साहब व अन्य व्यक्ति से हुई सभी बातों को डिजिटल टेपरिकॉर्डर में टेप कर लिया था। इसके बाद मै उस ऑफिस से बाहर आकर टेपरिकॉर्डर श्री लोकेश कुमार कानि0 को दिया और उनको ये सभी बाते बताई। तत्पश्चात हम दोनो वहा से रवाना होकर बसवा स्टेण्ड पर आये और आपसे श्री लोकेश कुमार ने जरिये दूरभाष वार्ता कर मेरी वार्ता करवाई। इस पर मैं आपके निर्देशानुसार रिश्वती राशि साथ लेकर आज आपके कार्यालय में उपस्थित आया हूं। इस पर परिवादी को कार्यालय में बैठाया गया। इसके बाद पूर्व के पाबन्दशुदा दोनों स्वतन्त्र गवाह सर्व श्री रघुवीर प्रसाद शर्मा,

सहायक अभियन्ता तथा श्री शंकर लाल जाट, कनिष्ठ सहायक, नगर परिषद, दौसा कार्यालय में उपस्थित आये। जिनका परिचय कर कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह रहने की स्वीकृति चाही तो दोनों ने अपनी स्वेच्छा से अपनी–अपनी सहमति प्रदान की। तत्पश्चात दोनों गवाहान का परिवादी से परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 20.10.2022 को पेश किया गया लिखित प्रार्थना पत्र को पढवाया गया। दोनों गवाहान ने परिवादी के लिखित प्रार्थना पत्र को पढकर उसमें अकिंत तथ्यों के बारे में परिवादी से पूछताछ की तो परिवादी ने अपना हस्त लिखित होना तथा उसमें अकिंत सभी तथ्य सही होना ताईद किया। गवाहान ने परिवादी की बातों को सही मानकर उसके लिखित प्रार्थना पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। इसके बाद परिवादी तथा संदिग्ध आरोपी श्री रामनिवास सहायक अभियन्ता जयपुर डिस्कॉम बसवा जिला दौसा व अन्य व्यक्ति के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता को परिवादी ने विभागीय डिजिटल टेपरिकॉर्डर में दिनांक 31.10.2022 को टेप किया गया था एंव जिसको सुनकर सुरक्षा की दृष्टि से कार्यालय की आलमारी में रखकर ताला लगाया गया था। उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में आलमारी का ताला खोलकर बाहर निकाला गया व वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ता को दोनों गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से सुना गया और परिवादी से सदिंग्ध आरोपी द्वारा रिश्वत मांग के सम्बन्ध में की गई वार्ताओं की शब्द–ब–शब्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई। रिकॉर्ड शुदा वार्ता में आरोपी श्री रामनिवास मीना, सहायक अभियन्ता जयपुर डिस्कॉम बसवा जिला दौसा व अन्य व्यक्ति की आवाज व अपनी स्वंय की आवाज की पहचान परिवादी श्री लोकेश कुमार मीना द्वारा की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की सम्बन्धित वॉईस क्लिप से शब्द–ब–शब्द मिलान किया गया तथा वार्तालाप रूपान्तरण को दोनों गवाहान एंव परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात वार्ता के पेन ड्राईव बनाने हेतु तीन खाली पेन ड्राईव मगंवाये जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ता की कम्प्युटर की सहायता से बारी–बारी से तीन पेन ड्राईव तैयार किये जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर तीनों पेन ड्राईव को अलग–अलग पेन ड्राईव कवर में रखकर कवर पर सफेद कागज की चिट चस्पाकर मार्क– A-1, A-2, A-3 अकिंत कर दोनों गवाहान एंव परिवादी श्री लोकेश कुमार मीना के हस्ताक्षर करवाकर पेन ड्राईव मार्क A-1, A-2 को पेन ड्राईव कवर सहित अलग–अलग सफेद कपडें की थैली में रखकर कपडे की थैली पर भी मार्क A-1, A-2 अकिंत कर सील मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे पुलिस लिया जाकर एचएम मालखाना श्री दौलतराम हैड कानि. के मार्फत जमा मालखाना करवाया गया तथा तीसरे पेन ड्राईव मार्क A-3 को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री लोकेश कुमार मीना को संदिग्ध आरोपी रामनिवास मीना, सहायक अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम बसवा जिला दौसा को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने बाबत कहा तो परिवादी ने अपने पास से 500–500 रूपये के 08 नोट कुल 4,000/–रू0 निकाल कर पेश किये गये। जिनके नम्बर फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित कर नोटो पर श्री नितिन यादव कनिष्ठ सहायक से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाई जाकर कार्यालय की एक टेबिल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 4,000 रूपये के नोटों को रखकर उन पर श्री नितिन यादव कनिष्ठ सहायक से अच्छी तरह से फिनोफ्थैलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री लोकेश कुमार मीना की जामा तलाशी गवाह श्री शंकर लाल जाट से लिवाई गई तो उसके पास मोबाईल के अलावा अन्य कोई आपत्ति जनक वस्तु व सामान नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफ्थैलीन पाउडर युक्त 4,000/–रू. के नोट श्री नितिन यादव कनिष्ठ सहायक से परिवादी के पहने हुये पायेजामें की बगल की बाई जेब में रखवाये गये एंव परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटो को जब तक नही छुयेगा तब तक कि आरोपी रिश्वत की मांग नही करे तथा मांगने पर ही वह पाउडर युक्त राशि उसे देवे। और ध्यान रखे की आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है। परिवादी को आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मिस कॉल देकर मन् पुलिस निरीक्षक को रिश्वत देने का ईशारा करने बाबत बताया। इसके पश्चात दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन देन को देखने का यथा सम्भव प्रयास करे। फिनोफ्थैलीन पाउडर की शीशी को वापस कार्यालय की आलमारी में

सुरक्षित रखवाया गया। जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया था उसको जलवाकर नष्ट करवाया गया। उसके पश्चात एक कांच के गिलास में साफ पानी मगंवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त गिलास के घोल में श्री नितिन यादव कनिष्ठ सहायक के हाथों की अगुलियों को डुबोकर धुलवायी गयी तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी व गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाउडर लगे नोटो को छुयेगा तो उसके हाथो में यह पाउडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा। जिससे साबित होगा कि उसने रिश्वती राशि ली है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को कार्यालय से बाहर फिंकवाया गया। तत्पश्चात पावडर लगाने वाले श्री नितिन यादव कनिष्ठ सहायक के दोनो हाथो को साबुन एंव साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एंव ट्रैप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रैप बाक्स में रखी खाली शिशीयां, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। परिवादी को छोडकर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो सभी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं रहने दी गई, केवल विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल ही रहने दिये गये। परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकार्डर आरोपी एंव उसके मध्य रिश्वत के लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सुपुर्द किया। तत्पश्चात् समय 2.40 पी.एम. पर परिवादी श्री लोकेश कुमार मीना व श्री प्रेमप्रकाश कानि. को सरकारी मोटरसाईकिल से कार्यालय जयपुर डिस्कॉम, बसवा के लिये रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान व स्टाफ सदस्य सर्व श्री झाबर सिंह कानि0 83, श्री अशोक कुमार कानि0 505, श्री राकेश कानि0 70, श्री मुकेश कुमार कानि. 101 व श्री लोकेश कुमार कानि. नं. 155 के मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर एवं अन्य साजो सामान के जरिये सरकारी वाहन एवं श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महेन्द्र कुमार शर्मा सुपरविजन हेतु पृथक् से जरिये प्राईवेट वाहन कार्यालय जयपुर डिस्कॉम, बसवा के लिये वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही रवाना होकर समय 3.50 पी.एम. पर उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा मय हमराहीयान के कार्यालय जयपुर डिस्कॉम, बसवा के नजदीक पहुँचा, जहां पर वाहनों को रोड के एक साईड में चाय की व अन्य दुकानों के पास खडा करवाकर परिवादी को वॉईस रिकॉर्डर को चालू करने की मुनासिब हिदायत कर संदिग्ध आरोपी के पास कार्यालय जयपुर डिस्कॉम बसवा के लिये रवाना किया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक व श्रीमान् अति0 पुलिस अधीक्षक एवं बाकी स्टाफ सदस्य भी वाहनों से नीचे उतरकर परिवादी के पीछे–2 रवाना होकर अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुये कार्यालय जयपुर डिस्कॉम बसवा के आस पास खडे होकर परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। तत्पश्चात् समय करीब 4.10 पी.एम. पर परिवादी श्री लोकेश कुमार मीणा ने कार्यालय सहायक अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बसवा, जिला दौसा के मेन गेट से अपने सर पर हाथ फेरकर ट्रेप पार्टी को मुकर्रर ईशारा किया। परिवादी का ईशारा प्राप्त होने पर मन् पुलिस निरीक्षक दोनों स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्यों को साथ लेकर तुरन्त ही परिवादी के पास पहुंचा। जहां पर परिवादी से सुपुर्दशुदा डिजिटल टेपरिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया जाकर कब्जे में लिया गया। तत्पश्चात् परिवादी ने दोनों स्वतन्त्र गवाहान के सामने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि साहब मैं अभी–अभी आपके निर्देशानुसार श्री रामनिवास मीना, सहायक अभियन्ता के पास उनके ऑफिस में गया, तो वह मुझे अपने ऑफिस में ही उपस्थित मिला तथा उसके सामने उसका दलाल श्री देवीसिंह भी बैठा हुआ मिला। मैंने ए.ई.एन. साहब को हमारे कृषि विद्युत कनेक्शन का सामान देने एवं इण्डेन पर ए.ई.एन. साहब को हस्ताक्षर करने के लिये कहा, तो ए.ई.एन. साहब ने मुझे अपनी तयशुदा रिश्वती राशि 5000/–रूपये देने बाबत कहा तो मैंने कहा कि साहब हजार रूपये तो मैं 31.10.2022 को आपके कहे अनुसार अन्य व्यक्ति को दे दिये थे तथा शेष 4000/–रूपये मैं लेकर आया हूं, इस पर ए.ई.एन. साहब ने मेरे से 2000/–रूपये अपनी टेबिल पर रखे निमन्त्रण कार्ड में रखवाकर 2000/–रूपये डी.पी. देने के बाद देने के लिये कहकर मेरे इण्डेन पर हस्ताक्षर कर इण्डेन मुझे दे दिया। इसके बाद मैं ए.ई.एन. साहब के ऑफिस से मेरा इण्डेन लेकर बाहर गेट पर आकर आपको सिर पर हाथ फेरकर मुकर्रर ईशारा कर दिया। ए.ई.एन. साहब श्री रामनिवास मीना व उसका दलाल श्री देवीसिंह प्राईवेट व्यक्ति दोनों अभी उनके कार्यालय में ही बैठे हुए है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप पार्टी एवं परिवादी को साथ लेकर तुरन्त ही श्री रामनिवास मीना, सहायक अभियन्ता के ऑफिस में आये तो उक्त कक्ष में टेबिल के सामने की कुर्सी पर एक व्यक्ति पेन्ट शर्ट पहने एवं चश्मा लगाये हुए बैठा हुआ था, उसकी तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया कि साहब ये ही ए.ई.एन. साहब श्री रामनिवास मीना जी है, जिन्होनें अपनी मांग अनुसार रिश्वती राशि

में से 2000/–रूपये मेरे से मांग कर इस टेबिल पर रखे निमंत्रण कार्ड में रखवाये थे तथा ए.ई.एन. रामनिवास मीना के सामने कुर्सी पर जीन्स की पेन्ट व शर्ट पहने हुए व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि साहब ये ए.ई.एन. साहब का दलाल श्री देवीसिंह है। इस पर आरोपी रामनिवास मीना, ए.ई.एन. व उसके दलाल श्री देवीसिंह को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुए बारी–बारी से उनका परिचय पूछा तो एक ने अपना नाम श्री रामनिवास मीना पुत्र श्री रामकुमार मीना, उम्र 58 वर्ष, जाति मीना, निवासी दूध की डेयरी, करौली रोड, सालौदा ग्रामीण, महु खुर्द, रूरल, महूकलां, जिला सवाई माधोपुर हाल सहायक अभियन्ता, कार्यालय सहायक अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बसवा, जिला दौसा तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम देवीसिंह पुत्र श्री अमरसिंह मीना, उम्र 35 वर्ष, जाति मीना, निवासी बडा थोक, बामनवास पट्टी कलां, जिला सवाईमाधोपुर होना बताया। तत्पश्चात् आरोपी श्री रामनिवास मीना, ए.ई.एन. को परिवादी श्री लोकेश कुमार मीणा के पिता श्री हीरालाल के नाम कृषि विद्युत कनेक्शन के पेटे सामान देने की ऐवज में मांग सत्यापन दिनांक 31.10.2022 को 5000/–रूपये रिश्वती राशि की मांग कर 1000/–रूपये मौके पर ही अपने दलाल प्राईवेट व्यक्ति को दिलवाना एवं उक्त मांग की अनुशरण में आज दिनांक 02.11.2022 को वर वक्त ट्रेप कार्यवाही शेष रिश्वती राशि 4000/–रूपये में से 2000/–रूपये मांग कर निमंत्रण कार्ड में रखवाने व 2000/–रूपये बाद में लेने बाबत पूछा गया कि आपने परिवादी से उक्त रूपये किस काम हेतु लिये है एवं कार्ड व रिश्वती राशि कहां पर है, तो आरोपी ने बताया कि मैंने न तो श्री लोकेश कुमार मीणा से इसके पिता के नाम कृषि विद्युत कनेक्शन का सामान देने की ऐवज में दिनांक 31.10.2022 को रिश्वत की मांग की और न ही आज इनसे रिश्वती राशि ली गई है। श्री लोकेश कुमार मीणा दिनांक 31.10.2022 को मेरे पास आया हो, तो इस बात की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये आज कुछ समय पहले मेरे पास आया और मुझे अपने कृषि विद्युत कनेक्शन का सामान लेने के लिये इण्डेन पर हस्ताक्षर करने के लिये कहा तो मैंने इनके इण्डेन पर हस्ताक्षर कर दिनांक डालकर इनको वापस दे दिया। ये जबरदस्ती मेरी टेबल पर रखे निमंत्रण कार्ड को उठाया था और फिर उसको वापस मेरी टेबल पर ही रख दिया, मेरे को नहीं पता कि निमंत्रण कार्ड में इसने कोई रूपये रखे हो तो एवं वह निमंत्रण कार्ड कहां पर है। इसके बाद ए.ई.एन. श्री रामनिवास मीना के दलाल श्री देवीसिंह से रिश्वती राशि 2000/–रूपये बाबत पूछा गया तो उसने बताया कि मैं ए.ई.एन. साहब से दवाईयों के पैसे लेने आया था, तो इन्होने मुझे अपने पास रखे निमंत्रण कार्ड में से निकालकर 2000/–रूपये दिये है, जो मेरी पहनी हुई जीन्स की पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में रखे हुए है, मुझे नहीं पता कि ये पैसे किस चीज के है। इस पर श्री रामनिवास मीना, ए.ई.एन. को वापस निमंत्रण कार्ड एवं रिश्वती राशि अपने दलाल प्राईवेट व्यक्ति श्री देवीसिंह को देने बाबत पूछा तो वह निमंत्रण कार्ड के प्रति अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कुछ नहीं बोला व चुपचाप ही रहा। इस पर पास ही खडे परिवादी से पूछा तो परिवादी ने कहा कि साहब ए.ई.एन. साहब झूठ बोल रहे है, मैं इनके पास इसके ऑफिस में आया तो मुझे ए.ई.एन. साहब व इनका दलाल श्री देवीसिंह बैठे हुए मिले, मैंने ए.ई.एन. साहब को देवीसिंह के सामने ही हमारे कृषि विद्युत कनेक्शन का सामान देने एवं इण्डेन पर ए.ई.एन. साहब को हस्ताक्षर करने के लिये कहा, तो ए.ई.एन. साहब ने मुझे अपनी तयशुदा रिश्वती राशि 5000/–रूपये देने बाबत कहा तो मैंने कहा कि साहब हजार रूपये तो मैं 31.10.2022 को आपके कहे अनुसार अन्य व्यक्ति को दे दिये थे तथा शेष 4000/–रूपये मैं लेकर आया हूं, इस पर ए.ई.एन. साहब ने मेरे से 2000/–रूपये अपनी टेबिल पर रखे निमन्त्रण कार्ड में रखवाकर 2000/–रूपये डी.पी. देने के बाद देने के लिये कहकर मेरे इण्डेन पर हस्ताक्षर कर इण्डेन मुझे दे दिया। मैंने जबरदस्ती इनको उक्त रूपये नहीं दिये बल्कि इनके मांगे अनुसार ही दिये है। इस पर दोनों आरोपीगणों से पुनः पूछा गया तो अपने पूर्व में बताये कथनों के अलावा और कुछ नहीं बताया। इसके बाद उक्त कार्यालय में बने अन्य कक्ष में रखे पानी के कैम्पर से एक प्लास्टिक की बोतल में पानी मंगवाया जाकर उक्त बोतल से दो साफ कांच के गिलासों में पानी भरवाकर कुछ मात्रा में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित ही रहा, जिसे मौजूदगान को दिखाया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना ही बताया। तत्पश्चात् एक गिलास के घोल में आरोपी श्री रामनिवास मीना, ए.ई.एन. के दाहिने हाथ की अंगुलियों/अंगूठे को तथा दूसरे गिलास के घोल में उसके बायें हाथ की अगुलियों/अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो दोनों ही हाथों के धोवन का रंग मामूली हल्का गुलाबी हो गया, जिसे सभी मौजूदगान ने देखकर दोनों गिलासों के धोवन का रंग मामूली हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त दोनों गिलासों के धोवन को दो–दो साफ कांच की शीशीयों में आधा–2 डालकर सील मोहर कर चिट चस्पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क

R-1, R-2 व L-1, L-2 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई। इसके पश्चात् पूर्व की भांति दो अन्य साफ कांच के गिलासों में उसी पानी की बोतल से पानी लिया जाकर कुछ मात्रा में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित ही रहा, जिसे मौजूदगान को दिखाया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना ही बताया। इसके बाद एक गिलास के घोल में आरोपी श्री देवीसिंह दलाल प्राईवेट व्यक्ति के दाहिने हाथ की अंगुलियों/अंगूठे को तथा दूसरे गिलास के घोल में उसके बायें हाथ की अगुलियों/अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो दोनों ही हाथों के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसे सभी मौजूदगान ने देखकर दोनों गिलासों के धोवन का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त दोनों गिलासों के धोवन को दो–दो साफ कांच की शीशीयों में आधा–2 डालकर सील मोहर कर चिट चस्पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क R-3, R-4 व L-3, L-4 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई। तत्पश्चात् आरोपी श्री देवीसिंह दलाल प्राईवेट व्यक्ति की पहनी हुई जीन्स की पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री रघुवीर प्रसाद शर्मा से लिवाई गई तो आरोपी की पहनी हुई जीन्स की पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में कुछ रूपये होना बताया, जिनको गवाह से बाहर निकलवाकर दोनों गवाहान से गिनने व कार्यालय में बनी फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट के नंबरों से मिलान करने बाबत कहा, तो गवाह श्री रघुवीर प्रसाद शर्मा ने आरोपी श्री देवीसिंह दलाल प्राईवेट व्यक्ति की पहनी हुई जीन्स की सामने की दाहिनी जेब से कुछ रूपये निकालकर 500–500 रूपये के 4 नोट कुल 2,000/–रूपये होना व दोनों गवाहान ने नोटों के नंबरों का फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटों के नम्बरों से मिलान कर दोनों के नम्बर एक समान होना बताया। बरामदशुदा नोटों को एक सफेद कागज के साथ नत्थीकर सील मोहर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात् श्री लोकेश कुमार मीणा परिवादी को शेष रिश्वती राशि 2000/–रूपये व आरोपी श्री रामनिवास मीना ए.ई.एन. द्वारा अपने हस्ताक्षर कर दिये गये इण्डेन को पेश करने बाबत कहा, तो परिवादी ने अपने पास से 500–500/–रूपये के 04 नोट कुल 2000/–रूपये अपने पहने हुए पायजामे की बगल की बांई जेब से निकालकर पेश किये, जिनके नंबरों का दोनों स्वतंत्र गवाहान से कार्यालय में बनाई गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट के नंबरो से मिलान करवाया गया तो दोनों के नंबर एक समान होना बताया गया। तत्पश्चात् उक्त नोटों को एक सफेद कागज के साथ नत्थीकर सील मोहर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात् परिवादी द्वारा आरोपी श्री रामनिवास मीना ए.ई.चएन. के हस्ताक्षरयुक्त इण्डेन पेश किया, जो परिवादी के कार्य से संबंधित होने पर इण्डेन की प्रति कार्यालय के कनिष्ठ अभियन्ता से प्रमाणित करवाकर उस पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात् आरोपी के कहे अनुसार उसके मिलने वाले से बाजार से एक नया लोवर मंगवाकर आरोपी श्री देवीसिंह दलाल प्राईवेट व्यक्ति की उक्त जीन्स की पेन्ट बैरंग नीला, जिसकी सामने की दाहिनी जेब में रिश्वत राशि 2000/–रूपये प्राप्त कर रखी गई थी एवं जो उक्त जेब से बरामद हुई है, उक्त पेन्ट को शालीनता पूर्वक श्री देवीसिंह दलाल प्राईवेट व्यक्ति के बदन से उतरवाया जाकर मंगवाया गया लोवर पहनाया गया। तत्पश्चात् एक अन्य साफ कांच के गिलास में पूर्व की भॉति सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाकर उक्त पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब, जिससे रिश्वती राशि बरामद की गई है, उक्त जेब को उलटवाकर सोडियम कार्बोनेट के घोल में डूबोया जाकर धोवन लिया गया तो, धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। जिसे सभी मौजूदगान ने देखकर धोवन का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त कांच के गिलास के धोवन को दो अन्य साफ कांच की शीशीयों में आधा–2 डालकर सील मोहर कर चिट चस्पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क P-1 व P-2 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई तथा उक्त पेन्ट बैरंग नीला की सामने की दाहिनी जेब जिससे रिश्वती राशि बरामद की गई है, को सुखाकर उसकी जेब पर लाल पैन का गोला कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर पेन्ट को एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील मोहर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "P" अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात् परिवादी से प्राप्त वॉइस रिकॉर्डर को चला कर सुना गया तो उसमें परिवादी व श्री रामनिवास मीना, ए.ई.एन के मध्य रिश्वत लेन–देन की वार्ता टेप होना पाई गई। तत्पश्चात् आरोपी श्री रामनिवास मीना, ए.ई.एन. से परिवादी के कृषि विद्युत कनेक्शन से संबंधित रिकार्ड पेश करने बाबत कहा तो अपने कार्यालय के सी.सी. बाबू के पास होना बताया। इसके बाद परिवादी तथा आरोपीगण श्री रामनिवास मीना, ए.ई.एन. व श्री देवीसिंह दलाल प्राईवेट व्यक्ति से आपसी रंजिश, दुश्मनी व उधार के लेन–देन बाबत पूछा तो तीनों ने ही इंकार किया। तत्पश्चात् आरोपी की गाडी नंबर RJ-25-CA-5802 स्विफ्ट डिजायर बरंग सफेद को जरिये फर्द लॉक खुलवाकर गवाह श्री रघुवीर प्रसाद शर्मा से तलाशी लिवाई गई, तो उक्त गाडी की पीछे की डिग्गी में रखे काले रंग के बैग में 500–500/–रूपये की गड्डियों में बंधे हुए एवं कुछ खुले रूपये मिले, जिसको गवाह से गाडी में रखे उक्त बैग से बाहर निकलवाकर दोनों गवाहों को गिनने बाबत कहा तो दोनों गवाहान ने उक्त नोटों को गिनकर 500–500/–रूपये

कुल 1103 नोट कुल राशि 5,51,500/–रूपये होना बताये। जिनको वास्ते तस्दीक कब्जा पुलिस लिया गया एवं उक्त गाडी को जरिये फर्द जब्त किया जाकर बाद हस्ताक्षर फर्द शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् समय करीब 7.30 पी.एम. पर परिवादी से संबंधित रिकार्ड की प्रमाणित प्रति को जरिये फर्द जप्त किया गया। घटनास्थल का नक्शा मौका कशीद कर बाद हस्ताक्षर फर्द शामिल पत्रावली की गई। दोनों आरोपीगण को जरिये फर्द पृथक–2 अपनी नमूना आवाज देने बाबत कहा गया तो दोनों ने ही अपनी स्वेच्छा से अपनी आवाज का नमूना देने से फर्द पर लिखित में मना किया गया। इसके बाद समय करीब 10.00 ए.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री लोकेश कुमार मीना के समक्ष परिवादी श्री लोकेश कुमार मीना व आरोपी श्री रामनिवास मीना, सहायक अभियन्ता, कार्यालय सहायक अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बसवा जिला दौसा के मध्य दिनांक 2.11.2022 को रिश्वत राशि लेन–देन के समय हुई वार्ताओं के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को जो ट्रेप कार्यवाही के दौरान परिवादी से प्राप्त कर चालूकर सुना जाकर वापस बन्द कर अपने कब्जे में रखा गया था, को अपने पास से निकालकर वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ता को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में कार्यालय के लैपटॉप की सहायता से सुना गया तथा उक्त में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की शब्द–ब–शब्द समक्ष आई वार्ता की ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई। रिकॉर्ड शुदा वार्ता में आरोपी श्री रामनिवास मीना, सहायक अभियन्ता की आवाज व अपनी स्वंय की आवाज की पहचान परिवादी श्री लोकेश कुमार मीना द्वारा की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की सम्बन्धित वाईस क्लिप से शब्द–ब–शब्द मिलान किया गया तथा वार्तालाप रूपान्तरण को दोनों गवाहान एंव परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् वार्ता का पेन ड्राईव बनाने हेतु तीन खाली पेन ड्राईव ट्रेप बाक्स से लिये जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ता की लैपटॉप की सहायता से बारी–बारी से तीन पेन ड्राईव तैयार किये जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर तीनों पेन ड्राईव को अलग–अलग पेन ड्राईव कवर में रखकर कवर पर सफेद कागज की चिट चस्पाकर मार्क– B–1, B–2 व B–3 अकिंत कर दोनों गवाहान एंव परिवादी श्री लोकेश कुमार मीना के हस्ताक्षर करवाकर पेन ड्राईव मार्क B–1 व B–2 को कवर सहित अलग–अलग सफेद कपड़े की थैली में रखकर कपड़े की थैली पर भी मार्क B–1 व B–2 अकिंत कर, सील मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे पुलिस लिया गया तथा तीसरे पेन ड्राईव मार्क B–3 को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 03.11.2022 को दोनों आरोपीगणों श्री रामनिवास मीना, सहायक अभियन्ता एवं श्री देवीसिंह दलाल प्राईवेट व्यक्ति को पृथक्–पृथक् जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द अंतर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भा.दं.सं. में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही के उपयोग में ली गई नमूना ब्राशसील नम्बर–35 को तुडवाकर जरिये फर्द नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात् बाद संपन्न कार्यवाही परिवादी श्री लोकेश कुमार मीना को उसके निवास स्थान के लिये रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्यों के, मय गिरफतार शुदा आरोपीगण श्री रामनिवास मीना, सहायक अभियन्ता व श्री देवीसिंह दलाल प्राईवेट व्यक्ति एवं जब्त शुदा आर्टीकल्स, रिश्वती राशि एवं गाडी से जप्तशुदा राशि, लैपटॉप प्रिन्टर को हमराह लेकर जरिये प्राईवेट व सरकारी वाहनो एवं आरोपी की गाडी नंबर RJ-25-CA-5802 स्विफ्ट डिजायर बरंग सफेद के बाद ट्रेप कार्यवाही कार्यालय सहायक अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बसवा, जिला दौसा से पुलिस थाना बसवा, जिला दौसा के लिये रवाना होकर पुलिस थाना बसवा पर पहुंचकर आरोपी श्री रामनिवास मीना, सहायक अभियन्ता की गाडी नंबर RJ-25-CA-5802 स्विफ्ट डिजायर बरंग सफेद को सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना बसवा में खडी करवाया जाकर जरिये फर्द सुपुर्द किया गया। इसके बाद दिनांक 3.11.2022 को समय 2.30 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्यों के, मय गिरफतार शुदा आरोपीगण श्री रामनिवास मीना, सहायक अभियन्ता व श्री देवीसिंह दलाल प्राईवेट व्यक्ति एवं जब्त शुदा आर्टीकल्स, रिश्वती राशि, लैपटॉप प्रिन्टर को हमराह लेकर जरिये प्राईवेट व सरकारी वाहनो के पुलिस थाना बसवा, जिला दौसा से रवाना होकर कार्यालय भ्रनिब्यूरो, दौसा में उपस्थित आया व गिरफ्तारशुदा आरोपीगण श्री रामनिवास मीना, सहायक अभियन्ता व श्री देवीसिंह दलाल प्राईवेट व्यक्ति को कार्यालय में स्टाफ की निगरानी में बैठाया गया तथा जब्त शुदा समस्त आर्टीकल्स व सील्ड शुदा समस्त शीशीयॉ व जब्त

शुदा रिश्वती राशि नम्बरी 4,000 रूपये एवं गाडी से जप्तशुदा 5,51,500/—रूपये को श्री दौलतराम हैड कानि. के मार्फत जमा मालखाना एसीबी दौसा करवाया गया। तत्पश्चात् समय करीब 3.40 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाह श्री रघुवीर प्रसाद शर्मा, सहायक अभियन्ता एवं श्री शंकर लाल जाट, कनिष्ठ सहायक, नगर परिषद, दौसा को उनके निवास स्थान के लिए रवाना किया गया।

सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपी श्री रामनिवास मीना, सहायक अभियन्ता, कार्यालय सहायक अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बसवा, जिला दौसा एक लोक सेवक होते हुए अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने की एवज में भ्रष्ट आचरण रखते हुये अपने दलाल प्राईवेट व्यक्ति श्री देवीसिंह मीना, निवासी बडा थोक, बामनवास पट्टी कलां, जिला सवाईमाधोपुर से आपसी मिलीभगत कर परिवादी श्री लोकेश कुमार मीणा पुत्र श्री हीरालाल, जाति मीणा, उम्र 28 वर्ष, निवासी रैवासा, तह. बसवा, जिला दौसा से उसके पिताजी श्री हीरालाल के नाम विद्युत विभाग, बसवा द्वारा जारी कृषि विद्युत कनेक्शन के डिमाण्ड नोटिस की राशि परिवादी द्वारा दिनांक 14.10.2022 को ऑनलाईन जमा करवाने के बाद उक्त कनेक्शन का सामान देने की ऐवज में रिश्वती राशि मांग सत्यापन दिनांक 31.10.2022 को आरोपी श्री रामनिवास मीना, सहायक अभियन्ता द्वारा परिवादी से 5000/—रूपये रिश्वत की मांग कर 1000/—रूपये मौके पर ही अपने मिलने वाले प्राईवेट व्यक्ति को दिलवाई जाकर शेष रिश्वती राशि 4000/—रूपये में से वर वक्त ट्रेप कार्यवाही दिनांक 02.11.2022 को 2000/—रूपये मांग कर अपनी टेबल पर रखे निमंत्रण कार्ड में रखवाकर प्राप्त करना एवं शेष राशि डी.पी. देने के बाद देने के लिये कहकर सामान के इण्डेन पर अपने हस्ताक्षर कर परिवादी को देकर परिवादी से प्राप्त की गई रिश्वती राशि 2000/—रूपये अपने दलाल श्री देवीसिंह प्राईवेट व्यक्ति को देना एवं उक्त राशि दलाल श्री देवीसिंह प्राईवेट व्यक्ति की पहनी हुई जीन्स की पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब से बरामद होने पर आरोपीगण का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7, 7 ए पीसी एक्ट 1988 (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भादंसं. में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपीगण श्री रामनिवास मीना पुत्र श्री रामकुमार मीना, उम्र 58 वर्ष, जाति मीना, निवासी दूध की डेयरी, करौली रोड, सालौदा ग्रामीण, महु खुर्द, रूरल, महूकलां, जिला सवाई माधोपुर हाल सहायक अभियन्ता, कार्यालय सहायक अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बसवा, जिला दौसा व श्री देवीसिंह पुत्र श्री अमरसिंह मीना, उम्र 35 वर्ष, जाति मीना, निवासी बडा थोक, बामनवास पट्टी कलां, जिला सवाईमाधोपुर हाल दलाल प्राईवेट व्यक्ति के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।

(नवल किशोर)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
दौसा

पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
दौसा

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नवल किशोर, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1.श्री रामनिवास मीना, सहायक अभियन्ता, कार्यालय सहायक अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बसवा, जिला दौसा एवं 2. श्री देवीसिंह, निवासी बडा थोक, बामनवास पट्टी कलां, जिला सवाईमाधोपुर दलाल प्राईवेट व्यक्ति के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 430/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक- 3729-33 दिनांक 03.11.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर कम संख्या-2,जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. श्रीमान सचिव (प्रशासन), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।